(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 113–तीन/2015 विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 01–1–2015 पेशी दिनांक 09–1–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 12/2012–13/अ–70 एवं नायब तहसीलदार उप तहसील रन्नोद तहसील बदरवास जिला शिवपुरी द्वारा सूचना पत्र के साथ संलग्न पारित अदेश दिनांक 12–11–2014 के विरूद्ध निगरानी।

1. हरपाल सिंह पुत्र राम सिंह
2. राम सिंह पुत्र संजय सिंह
   निवासीगण ग्राम कुटवारा तहसील
   बदरवास जिला शिवपुरी म0प्र0

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन
2. प्रेमसिंह पुत्र गंगाराम मृत वारिसान–
   (क) रीता कुमार पत्नी स्व0 प्रेमसिंह
   (ख) अरविन्द
   (ग) अमित पुत्रगण स्व0 प्रेमसिंह
   निवासीगण रामपुरिया जागीर तहसील
   किशनगंज जिला वारां, राजस्थान

–––––अनावेदकगण

– – – – – – –

श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री श्री बी.एन. त्यागी, पैनल अभिभाषक, अनावेदक कं 1
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक कं 3 के वारिस

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 01 दिसम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत कारण

बताओ सूचना पत्र दिनांक 01–1–2015 पेशी दिनांक 09–1–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 12/2012–13/अ–70 एवं नायब तहसीलदार उप तहसील रन्नोद तहसील बदरवास जिला शिवपुरी द्वारा सूचना पत्र के साथ संलग्न पारित अदेश दिनांक 12–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक प्रेमसिंह के पुत्र अरविन्दनेकलेक्टर शिवपुरी के समक्ष जनसुनवाई में एक आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम कुटवारा तहसील बदरवास स्थित भूमि सर्वे कमांक 166 रकबा 1.45 हे0 उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिसपर आवेदक रामसिंह एवं उसके लडकों महेश, हरपाल द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है। कब्जा वापसी हेतु धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अनावेदक के उक्त आवेदन पर प्रकरण कमांक 12/अ–70/13–14 दर्ज हुआ तथा तहसीलदार रन्नोद द्वारा दिनांक 12–11–14 को आदेश पारित कर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया और 1 लाख रूपये जुर्माना अधिरोपित किया तथा 7 दिवस के भीतर कब्जा हटाने के आदेश दिये। कब्जा नहीं हटाने पर सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजने के आदेश दिये। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड कोलारस द्वारा दिनांक 01–01–15 को आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये। आवेदक उक्त कारण बताओ सूचना पत्र के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि कुटवारा तहसील बदरवास स्थित भूमि सर्वे कमांक 166 रकवा 1.45 हे0 आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व तथा पुश्तैनी होकर उस पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। आवेदकगण का खसरा पंचशाला में सन् 1996–97 से खसरा के

कालम नं. 12 में नाम दर्ज चला आ रहा है तथा मौके पर कब्जा होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। अनावेदक कमांक 3 ने तहसीलदार बदरवास के समक्ष दिनांक 09–5–13 को संहिता धारा 115, 116 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि खसरा के खाना नं0 12 में आवेदक रामसिंह के स्थान पर अनावेदक कमांक 2 का नाम दर्ज किया जाये। सुनवाई उपरांत राजस्व निरीक्षक से जांच कराई गई राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच में पाया कि कब्जा एक वर्ष से अधिक का है यानी वर्ष 1996–97 के खसरा में बराबर अंकित चला आ रहा है। इस कारण आवेदन अवधि बाह्य होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–1–2014 को अनावेदक कमांक 3 का आवेदन निरस्त किया। यह भी तर्क किया कि तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 115, 116 पर बिना विचार किये दिनांक 06–6–2014 को द्वारा बेदखली के आदेश दिये। जबकि 115, 116 में कब्जा इन्द्राज को एक वर्ष के अंदर शुद्ध किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जो वर्तमान में लंबित है। तर्क में यह भी कहा कि द्वितीय अपील में प्रकरण लंबित रहते हुये तहसीलदार ने आवेदकगण के विरूद्ध बेदखली, जुर्माना तथा सिविल जेल की कार्यवाही के आदेश दिनांक 12–11–14 को जिसके कम में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 01–01–2015 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध बेदखली का आदेश दिया था परन्तु आवेदकों द्वारा भूमि से कब्जा नहीं हटाने के कारण अग्रिम कार्यवाही

के तहत अनुविभागीय अधिकारी ने सिविल जेल की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही में कोई अनियमितता नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 3 के वारिसों के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि तहसीलदार ने धारा 250 के तहत आवेदकगण का अवैध कब्जा माना था और बेदखली की के आदेश दिये थे। आवेदकगण द्वारा कब्जा नहीं हटाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने सिविल जेल हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। पूर्व में तहसीलदार द्वारा धारा 115/116 के तहत कब्जा दर्ज करने के सम्बन्ध में दिए गए आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील की गई थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के 115/116 के अन्तर्गत दिए गए आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त के समक्ष लंबित है। इस प्रकरण में आवेदकगण को अपर आयुक्त न्यायालय से स्थगन प्राप्त करना चाहिए था। अपर आयुक्त न्यायालय से स्थगन नहीं होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 115/116 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा किए गए आदेश को निरस्त किया । उसी आदेश के कम में तहसीलदार ने 250 के तहत कार्यवाही कर बेदखली के आदेश दिये हैं। आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत करना चाहिए था परन्तु उनके द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है वे कार्यवाही को विलंबित करना चाहते हैं। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि विचाराधीन भूमि पर

उनका कब्जा दर्ज होने तथा धारा 115, 116 में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अपील अपर आयुक्त के यहां प्रचलित है फिर भी धारा 250 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई। परन्तु प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के 115, 116 के अन्तर्गत की गई कब्जे की प्रविष्टि के विरूद्ध की गई अपील में तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है, जिसकी द्वितीय अपील अपर आयुक्त न्यायालय में प्रचलित होने पर भी धारा 250 के तहत कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि यदि धारा 115, 116 के तहत कब्जा दर्ज हो भी गया हो तो भी उसे वैधानिक रूप से कब्जा नहीं माना जा सकता जबतक कि वैधानिक रूप से आवेदक भूमिस्वामी के रूप में मान्य नहीं किया जाता। अतः उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही का जा सकती है। तहसीलदार के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई पश्चातवर्ती कार्यवाही भी वैधानिक मानी जा सकती है। अतः उक्त आधार पर निगरानी स्वीकार करने का कोई औचित्य न होने से निगरानी निरस्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर